न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/87/2017 वाद — दायर दिनांक 15.09.2017

उनवान

1. सीताराम पिता लेहरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. मोहनलाल पिता लेहरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नारायणलाल पिता लेहरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. जगदीश पिता लेहरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. शान्ताबाई पुत्री भैरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ (राज0)।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री रोशनलाल जाट — —वादी

एकतरफा — —प्रतिवादी सं0 1 से 4

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 06.12.2024

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित खाता संख्या 135 के आराजीयात नं0 917, 921, 922, 925, 936, 1004/925 कुल किता 6 कुल रकबा 2.61 हैक्ट0 स्थित है एवं मौजा दामाखेडा पटवार हल्का दामाखेडा खाता संख्या 152 के खसरा संख्या 585, 690, 758, 759, 792 कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 1.50 हैक्ट0 जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा वादी का निहित है। मौके पर अपने हक के अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है, जो बिना बटवारे की आराजीयात है।

यह कि उपयुक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड की वर्तमान जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है उपयुक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की मौरूसी है उसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है मगर संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से लगान जमा कराने में व फसल लेने में व नाम से व सरकारी अनुदान प्राप्त करने में व अन्य सरकारी कार्य कराने मे समस्या रहती है। इसलिए प्रतिवादीगण को बटवाडा आराजीयात करने को कहा तो टालम टोल जवाब देता है। इस कारण आये दिन बटवाडा व सीमांकन विधि अनुसार नहीं होने से हर रोज लडाई झगडा होता रहता है मेर पाली रूख दरख को लेकर अनावश्यक विवाद बना रहता है इसलिए वादी अपने हिस्से की आराजीयात का बटवाडा मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बटवारा करा अलग से जमाबन्दी कराना चाहता है। जिससे भविष्य में होने वाले सम्भावित विवाद से बचा जा सके।

यह कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है क्योंकि आये दिन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादी के साथ अनावश्यक सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते रहते है तथा वादी के हक हिस्से में कब्जा नहीं करे इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है। अगर पाबन्द नहीं कराया गया तो वादी को अपने हक अधिकार से व कब्जे से मेहरूम होना पडेगा। जिसकी पूर्ति मूल्यों में नहीं आंकी जा सकेगी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि वादी ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को आपसी सहमति से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजीयात को बराबर कब्जे अनुसार बटवारा करने को कहा तो प्रतिवादी नहीं माने और दिनांक 18.08.2017 को प्रतिवादीगण ने बिल्कुल ही मना कर दिया और वादी को धमकी दी कि अगर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो जान से मार देंगे एवं तुम्हारे खातेदारी आराजीयात पर कब्जा करके उक्त आराजीयात पर भविष्य में कभी भी उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे। इसलिए वाद कारण पैदा हुआ जो निरन्तर जारी हैं।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की है कि –

–– पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के वाद वर्णित कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 135 व 152 में वादी का 1/8 हक हिस्सा अनुसार की बटवारा की डिक्री मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर डिक्री पारित की जावे। जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम अलग–अलग खाताबन्दी एवं लगानबन्दी कायम हो सके।

–– पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि वाद की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादी के हक हिस्से एवं कब्जेसुदा आराजीयात में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से जबरन कब्जा नहीं करे व लडाई झगडा कर वादी के कब्जे सुदा व हक हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न अपने नौकर एजेन्ट, परिवारजन, अधिनस्थ कर्मचारी आदि से करावें।

––खर्चा मुकदमा वकील मेहन्ताना प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। अन्य दाद मुफिद न्यायालय उचित समझे जो वादी को दिलाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 25.10.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। उक्त वाद पत्र में दिनांक 29.05.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 08.01.2024 से प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 06.12.2024 से शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 06.12.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित खाता संख्या 135 के आराजीयात नं0 917, 921, 922, 925, 936, 1004/925 कुल किता 6 कुल रकबा 2.61 हैक्ट0 तथा मौजा दामाखेडा पटवार हल्का दामाखेडा खाता संख्या 152 के खसरा संख्या 585, 690, 758, 759, 792 कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 1.50 हैक्ट0 स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 08.01.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मौजा दामाखेडा

1 जगदीश पुत्र लेहरू 1/4, नारायणलाल पुत्र लेहरू 1/4, मोहनलाल पुत्र लेहरू 1/4 सीताराम पुत्र लेहरू 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन बदस्तूर

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	585 मी0	0.1350
2	690 मी0	0.0550
3	759	0.41
4	758/1	0.03
5	792 मी0	0.12
योग	कुल किता–05	0.75

2. शान्ताबाई पुत्री भेरू जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन रहन बदस्तुर

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	585/1	0.1350
2	690/1	0.0550
3	758 मी0	0.45
4	792/1	0.0247
5	792/2	0.0853
योग	कुल किता–05	0.75

मौजा ताराखेडी

1. जगदीश पुत्र लेहरू 1/4, नारायणलाल पुत्र लेहरू 1/4, मोहनलाल पुत्र लेहरू 1/4 सीताराम पुत्र लेहरू 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन बदस्तूर

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	917	0.18
2	921	0.21
3	922/1	0.02
4	936 मी0	0.15
5	936/2	0.74
योग	कुल किता–05	1.30

2. शान्ताबाई पुत्री भेरू जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर शाखा कपासन

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	1004/925	0.08
2	925	0.16
3	922 मी0	0.22
4	936/1	0.15
5	936/3	0.70
योग	कुल किता–05	1.31

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official